CHETANA
International Journal of Education

Impact Factor
SJIF 2021 - 6.169

Peer Reviewed/
Refereed Journal

ISSN-Print-2231-3613
Online-2455-8729

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

Received on 28th Jan. 2022, Revised on 27th Feb. 2022, Accepted 29th Mar. 2022

शोध–आलेख

# मानवाधिकार एवं पुलिस प्रशासन

* डॉ. विनोद कुमार सैनी, *उपप्राचार्य,*
*पोदार कॉलेज नवलगढ़*
*Email-vinodkatria1977@gmail.com, Mob.-9314604321*

**मुख्य शब्द–** *मानवाधिकार, प्राकृतिक न्याय आदि।*

## प्रस्तावना

मानवाधिकार की धारणा अत्याधिक प्राचीन है और यह धारणा लगभग उतनी ही प्राचीन है जितना कि प्राकृतिक न्याय पर आधारित प्राकृतिक अधिकारों का प्राचीन सिद्धान्त। इन सब बातों के होते हुए मानवाधिकार अभिव्यक्त की द्वितीय विश्व युद्व की समाप्ति के पश्चात उद्भव होने वाली, बाद की उत्पति है।

## अर्थ

एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते है वो मानवाधिकार है। व्यक्ति की वो शर्तपूर्ण मांगे जिसे समाज स्वीकार करता है, राज्य जिसे प्रदत करता है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिये आवश्यक है तथा मानव की गरिमा से सम्बन्ध है और मानवीय गरिमा के पोषक के लिये आवश्यक है इस व्यक्ति के अधिकार कहा जाता है।

मानव अधिकार मानव के विशेष अस्तित्व के उनसे सम्बन्धित है, इसलिये ये जन्म जात होते है और इनकी प्राप्ति में जाति, धर्म,, लिंग, रंग एवं राष्ट्रीयता बाधक नहीं होती है।

मानव अधिकार को मूलाधिकार,, आधार भूत अधिकार, अन्तर्निहित अधिकार तथा नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है।

''प्रारम्भिक तौर पर, मानवाधिकारों के अर्थ को स्वेच्छाचारी सरकार से मात्र एवं स्वतंत्रता की संकीर्ण सीमाओं तक परिसीमित कर दिया गया। मानवाधिकारों को उस अति लघु अधिकारें के रूप में परिभाषित किया गया है। जिन्हें किसी दूसरे प्रति पर कोई विचार किये बिना ही मावन परिवार का एक सदस्य होने के कारण उसके गुण द्वारा राज्य या दूसरे लोक प्राधिकार के विरूद प्रत्येक व्यक्ति के पास निश्चित रूप से होना चाहिए''।[1]

4 जुलाई, 1776 को ''अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा'' में मानव मानवाधिकारों को सर्वोच्च स्थान दिया गया।

15 जून, 1215 को ब्रिटिश महाराजा किंग जॉन ने एक घोषणा पत्र निकाला जिसको मैग्नाकार्टा कहा जाता है। इसे मानवधिकारों का आदि दस्तावेज कहा गया है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा 10 दिसंबर 1942 को सार्वभौमिक मानव अधिकारें का एक घोषणा–पत्र स्वीकार किया। इसक संयुक्त राष्ट्रसंघ की महान उपलिब्ध के रूप में देखा जाता है।

घोषणा–पत्र में कहा गया है कि, ''सभी मानव स्वतंत्र हैं तथा उनकी गरिमा और अधिकार समान है।''[2] जिस प्रकार अमेरिका में 'बिल ऑफ राईट्स' वहां के संविधान की एक बहुत बड़ी उपलिब्ध मानी जाती है, उसी प्रकार जब भारतीय संविधान में संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार घोषणा–पत्र के समकक्ष भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किये तथा संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी वर्णित किये जिससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भी भावना है उसके अनुरूप भारत एक समपन्न एवं कल्याणकारी राष्ट्र बन सके।

मानवाधिकारों को अनेक दृष्टियों से देखा जा सकता है या बांटा जा सकता है। जैसे – 'मानवाधिकार और पुलिस'

'समाज की सुरक्षा के लिए अपराधियों को अभियोजित करना एक सामाजिक आवश्यक है। समाज की यह मांग है की अपराधियों को उनके कृत्य के लिए दण्डित किया जाये''।[3]

यदि हम उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को गंभीरता से लेते है। तो पुलिस का महत्त्व बढ़ जाता हैं इस संदर्भ में हमें पुलिस को समाज का एक अंग मान लेना चाहिए।

समाज में शान्ति, कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का प्रमुख कर्तव्य है। समाज की सुरक्षा का दायित्व भी प्रशासन के कंधों पर ही है। प्रशासन अपने इस दायित्व का निर्वाह जिन साधनों, संगठनों एवं संस्थानों के माध्यम से करता है, उनमें पुलिस प्रशासन प्रमुख है।

यदि यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यही वह प्रमुख प्रशासन है जो समाज में न केवल शान्ति और व्यवस्था बनाए रखता है, अपितु समाज की सुरक्षा के लिये ढाल एवं सुरक्षा चक्र का काम भी करता है। इस तथ्य से सभी परिचित है कि आन्तरिक शान्ति व्यवस्था बनाने, अशान्त वातावरण को शान्त करने समाज को भयमुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस द्वारा ही निभाई जाती हैं

किसी ना किसी रूप में जनता की सुरक्षा का दायित्व पुलिस पर ही रहता हैं सभ्य समाज की कल्पना पुलिस बिना संभव नहीं, अगर पुलिस नहीं होगी तो अराजकता स्पष्ट से दृष्टिगत होने लगेगी।

अतः ऐसे महत्वपूर्ण संख्या का अध्ययन मानवाधिकार के संदर्भ में समझना जरूरी है।

**पुलिस का शाब्दिक अर्थ**

'पुलिस शब्द में सुरक्षा का भाव निहित है जब भी पुलिस का नाम आता है। मन में एक ऐसे व्यक्ति का चित्र उभर आता जिसमें शांति, धैर्य, अनुशासन, विन्रमता, कर्तव्य परायणता, संवदेनशीलता, साहस, दक्षता सभी गुण कूट–कूट कर भरे हैं

पुलिस शब्द का अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है–

| | | |
|---|---|---|
| P: | Porite | (विनम्र) |
| O: | Obedient | (आज्ञाकारी) |
| L: | LOyal | (विश्वास पात्र) |
| C: | Courageous | (साहसी) |

E: Effieient (दक्ष)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 से 27 तक में शब्द पुलिस का प्रयोग तो किया गया है लेकिन उसे परिभाषित नहीं किया गया है।

पुलिस के कर्तव्यों, अधिकारों, दायित्वों एवं उसकी शक्तियों के आधार पर हम ऐसे व्यक्ति को पुलिस की संज्ञा दे सकते है–

''जो किसी नियम, अधिनियम, आदेश, अध्यादेश अथवा विधि के अन्तर्गत समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिये आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत हो, अपराधों का अनुसंधान (अन्वेषण) करने की शक्तियाँ रखता हो, एवं समाज की सुरक्षा तथा अपराधों के निवारण का जिस पर दायित्व हो''।[4]

**पुलिसकर्मी के लिये अपेक्षित गुण**

'खेडत मजदूर चेतना संगठन बनान स्टेट आफ मध्य–प्रदेश' (ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 31) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि, ''पुलिस का कर्तव्य अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करना है न कि उन्हे यातना और हथकड़ी लगाना।''[5]

बदलते हुए सामाजिक परिवेश में न केवल अपराधों में वृद्धि हो रही है अपितु काननू और व्यवस्था की स्थिति भी दिन–ब–दिन बिगड़ती जा रही है। जिस तरह समाज के सभी क्षेत्रों में अपराधों का प्रवेश, अपराधों की नवीन तकनीक, ने पुलिस कर्मियों के लिये कार्य करना एक चुनौती भरा कार्य हो गया है।

चुनौती भरे माहौल में अपराधों पर रोकथाम कानून एवं शान्ति व्यवस्था हेतु पुलिस कर्मी के कतिपय ऐसे गुणों की अपेक्षा की जाती हैं जो निम्नप्रकार है।

स्वस्थ एवं आकर्षक व्यक्तित्व, आज्ञाकारिता, निष्ठा एवं ईमानदारी, अनुशासन, विनम्रता, शिष्टता, कर्तव्य परायणता, जागरूकता, बुद्धिमता, क्षमता, संवेदनशीलता.....आदि।

वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड 19 की रोकथाम, कानून व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था बनाने में पुलिस की भूमिका निःसंदेह सराहनीय रही, पुलिस–प्रशासन ने अन्य राजकीय ऐजेन्सियों से मिलकर जिस प्रकार लोगों के जीवन को बचाया है। वह पुलिस के मानवाधिकारों के प्रति सकारात्मक छवि को दर्शाता है। उससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हुआ, पुलिस के प्रति निर्मित गलत धारणाएँ दूर हुई।

**मानवाधिकार हनन**

इक्कीसवी सदी में मानवाधिकारों के प्रति सम्मान की आकांक्षा समाज की प्रत्येक इकाई में बढ़ी है। आज मानव जाति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सम्मान पूर्वक जीवन यापन की है। पग–पग पर तिस्कृत, असुरक्षित, और उत्पीड़न की समस्या हैं।

विडम्बना है की जिन संगठनों पर मानवाधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी है। उन्हीं संगठनों पर मानवाधिकार हनन के आरोप लगते है।

इस क्षेत्र में पुलिस संगठनों पर मानवाधिकार हनन का आरोप सबसे ज्यादा लगते है तथा वर्तमान में पुलिस संगठनों की भूमिका में परिवर्तन की मांग बढती जा रही है। हालाकि पुलिस कर्मियों के मानवाधिकारों को अक्सर नजर अंदाज किया जाता है।

आज आम आदमी की यह शिकायत है कि पुलिस का उसके साथ व्यवहार उचित नहीं, गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ अमानवीय एवं क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता हैं निर्दोष व्क्ति को तंग एंव परेशान किया जाता हैं परिवादी की सुनवाई नहीं होती। पुलिस द्वारा झूठे मुकदमें, फर्जी इन्काउन्टर,, राजनीति में अपराधी प्रवृति के व्यक्तियों से संगठन आदि प्रवृतियां देखी गई है।

''यह कहना गलत नहीं होगा के वर्तमान में नारी की रक्षा का भार ढ़ोने वाली पुलिस स्वयं नारी का उत्पीड़ित कर रही है। जयपुर का गुर्ढा–प्रत्यारोपण काण्ड, नाड़ियाद गुजराज के मुख्य–न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस का तथा कथित अभद्र व्यवहार न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं गरिमा पर आघात हैं।''[6]

**पुलिस तथा मानवाधिकारें का उल्लंघन**

शान्ति एव व्यवस्था की स्थापना पर अप्रत्यक्ष रू‍प से मानवाधिकारों के उपलब्ध–उपयोग के लिये उचित वातावरणके निर्माण हेतु उत्तरदायी संस्था को ही जब मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों का सामना करना पड़े तो यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिये शर्मनाक ही हैं।

भारत में आमतौर पर पुलिस कर्मियों पर लगने वाले प्रमुख आरोप[7]

रिश्वखोरी।

बेगार लेना।

बिना किसी कारण के असभ्य, अश्लील भाषा का प्रयोग तथा मारपीट।

पुलिस हिरासत में मौतें तथा आत्म हत्याएँ।

स्त्रियों के असम्मान से सम्बन्धित विविध घटनाएँ।

हफ्तावसूली

झूठी मुकदमे बनाना।

झूठे पुलिस–मुठभेडे (एन काउन्टर) तथा मृत्यु।,

अधिकांश मामलों में केस नहीं दर्ज करना।

इसके अतिरिक्त पुलिस की निष्क्रियता के कारण जनता के अधिकारों का उल्लंघन होता हैं।

चोरी।

लूटपाट।

जाल साजी।

अवैध निर्माण।

अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता आदि।

वर्तमान में भौतिकवादी युग भूमण्डलीकरण, निजीकरण तथा उदारीकरण के कारण उपभोक्ता संस्कृति के कारण पुलिस कर्मियों का कार्य क्षेत्र तथा उनकी शोषण करने की शक्ति का भी विस्तार होता जा रहा हैं।

इस संबंध में कुछ मुख्य उल्लेखनीय क्षेत्र हैः –

- आज 'हायर परचेज' पर कीमत का कुछ अंश अदा कर समान घर ले आना एक आम बात हो गई। समय पर किस्त ना चूका पाने पर बड़ी–बड़ी कम्पनियां समान वापस उठा ले जाती है। इस कार्य के लिये पुलिस कर्मियों का प्रयोग किया जाता हैं या 'दादाओं' के समूहों को पुलिस द्वारा सहयोग दिया जाता हैं

- सूदखोरी का बढ़ता मकड़जाल निम्न और मध्य वर्ग के लोगों को आत्म हत्या करने पर मजबूर कर देता है। ऐसे रसूकदार लोगों को कही ना कही पुलिस का संरक्षण प्राप्त रहता हैं इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से अपराध में भागीदार पुलिस बन जाती है।
- एक अन्य क्षेत्र जिसमें पुलिस कर्मी अधिक पाये जाते है 'अवैध निर्माण' की रोकथाम। उच्च प्रशासनिक अधिकारों एवं राजनीतिज्ञों की मिली भगत के कारण जिस तरह अवैध निर्माण हो रहे है तथा भू– माफिया पनप रहे है वह किसी से छुपा हुआ नहीं हैं पुलिसकर्मी अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्य वही के नाम प तगडी फीस वसूल कर भू–माफियाओं को बढ़ावा देती हैं
- निर्वाचन के दौरान हिंसा को रोकने शान्तिपूर्ण निर्वाचन करवाने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता भारत में राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा देती हैं
- राजनेताओं के दबाब में पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को झूंठे मामलों में फसाने तथा उन पर अनावश्यक अत्यचार किया जाता है।
- राजनीतिक हिंसा को रोकने में पीड़ित प्रभावित 'राज्य' भी कठोर एवं क्रूर तथा निरंकुश रवैय अपनाकर हिंसा को दबाने का प्रयास करता हैं इस दुर्दम्य तथा अंतहीन चक्र की चपेट में निरीह बेगुनाह लोग आ जाते हैं और उन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़ते है।[8]

**पुलिस में व्याप्त अप संस्कृति :–**

औपनिवेशिक काल से भारत में पुलिस संगठनों में दमनकारी प्रकृति को पनपाने की कोशिश की गई है। पुलिस कर्मियों की सफलता का पैमाना उनके द्वारा की गई गिरफ्तारी और चालान की संख्या को माना जाता हैं

अभियुक्त से सच्चाई उगलवाने का सबसे अचूक उपाय थर्डडिग्री को माना जाता हैं और यह दावा किया जाता है कि डंडे के डर से बड़े से बड़ा अपराधी भी असलियत उगल देता हैं

इस अपसंस्कृति का प्रमुख लक्षण यह है कि प्रगतिशील विचारों को उपहास का पात्र माना जाता हैं और ऐसे विचारों वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को फील्ड पोस्टिंग के लिए नकारा घोषित कर दिया जाता हैं

**असंतोषजनक कार्यदशा**

पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार और सीमाओं के उल्लंधन के लिये असतोषजनक कार्यदशा भी बहुत हद तक जिम्मेदारी हैं पुलिस कर्मी दिन में 12 से 14 घंटे तक दौड़ते है। अशान्ति के दौरान तो यह भागदौड़ 24 घंटे की होती है जिसके बावजूद भी पेट भर रोटी नहीं, बल्कि जनता से अपशब्द सुनने को मिलते है।[9]

इसके अतिरिक्त कानून की सीमाएं, भर्ती एवं प्रशिक्षण में दोष, कार्य में हस्तक्षेप एवं राजनीति दबाब, सफलता के लिये दबाब, नेतृत्व की अक्षमता, साधनों की कमि आदि सिंिति पुलिस कर्मियों द्वारा कानूनी सीमा के उल्लंधन के लिये उत्तरदायी है।

पुलिसकर्मियों का मानवाधिकारों का हननः–

पुलिस कर्मियों द्वारा मानवाधिकारों का विभिन्न स्तरों तथा विविध रूपों में उल्लंधन किसी भी कारण से क्षम्य नही माना जा सकता बल्कि 'रक्षक द्वारा भक्षक' बना जाना अधिक गुरूतर अपराध माना जाता है किन्तु यह भी सत्य है की पुलिस कर्मियों के मानवाधिकारों का उल्लंधन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, विधि कारणों से विभिन्न स्तरों पर होता रहा है जिस पर न तो आम जनता का ध्यान स्वयं जाता है तथा न ही अपनी सेवा शर्तो के कारण पुलिस कर्मी ही इस विषय में कुछ कर पाते है।

पुलिस कर्मी मात्र सत्ता और शक्ति के प्रतीक ही नही है अपितु वर्दी के बाहर सामान्यजन भी है, आम नागरिक भी है। उनकी कुछ समस्याएं, शिकायते तथा चिन्ताएं है जिन पर गंभीर विचार होना चाहिए।

**कार्यस्थल का वातावरण**

एक आम पुलिस कर्मी की यह शिकायत रहती है कि अत्यन्त विषम परिस्थितियों में अपना कार्य करने, लम्बे समय तक घर से दूर कार्य करने के बावजूद उन्हें सदैव संदेह के घेरे में रखा जाता हैं

न्यायपालिका ही नहीं अपितु आम जनता को भी उनकी प्रतिबद्धता पर विश्वास नहीं है तथा प्रशासन एवं राजनीतिज्ञ उन पर अविश्वास करते है, उनको अपने निजी एवं निहित स्वर्थों के लिये प्रयुक्त किया जाता है, तथा समाचार पत्र भी उनक अच्छे कार्यों को जनता के सामने लाने का प्रयास नही करते। हर प्रकार से पुलिस की नकारात्मक छवि को ही प्रस्तुत किया जाता है विशेषकर हिन्दी सिनेमा ने पुलिस की छवि सबसे ज्यादा खराब की है।

**सेवा शर्ते**

पुलिस कर्मियों को वेतन कम, कार्य के घंटे निश्चित नहीं, अधिकांश को परिवार के साथ रहने की छूट नहीं,, पदोन्नती के अवसर कम। अधिकांश मामलों में ओवरटाइम नहीं मिलता तथा न ही त्योहार के अवसर पर परिवार से दूर रहने की क्षतिपूर्ती किसी रूप में की जाती हैं यही नहीं, वे अपनी यूनियन बनाकर भी अपने लिए कोई मांग नही कर सकते, क्योंकि कानून उसकी इजाजत नहीं देता।[10]

**पुलिस कर्मियों के सम्मान की रक्षा**

निम्नस्तर के पुलिसकर्मियों की एक आम शिकायत है कि उनहे वरिष्ठ अधिकारियों के निवास स्थानों पर घरेलू कार्य करने हेतु विवश किया जाता है तथा इस रूप में उनके मानवाधिकारों के व्यक्तिगत सम्मान तथा प्रतिष्ठा के मूल मंत्र आए दिन उल्लंधन होता है।

**मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति**

आज जिस तीव्र गति से समाज में हिंसा तथा आतंकवाद पैर फैला रहे है उसी अनुपात में पुलिसकर्मियों को भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं अपंग घायल तथा कार्य–सम्पादन के दौरान पुलिसकर्मियों के स्वयं के स्वास्थ्य की रक्षा तथा उनके परिवार के भरण पोषण तथा सम्मान की रक्षा होनी चाहिए किन्तु इस दिशा में जो भी किया जा रहा है वह अपर्याप्त ही नही बल्कि शोचनीय भी है।

**उचित प्रशिक्षण**

सेवा में प्रवेश के समय तथा सेवा के दौरान पुलिस कर्मियों हेतु उचित तथा समामाड कूल प्रशिक्षण का भी अभाव पाया जाता हैं जिसके चलते वे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप समस्याओं का सामना करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था,

''पुलिसकर्मी सही और गलत के चौराहे पर खड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जिसका दायित्व सही की रक्षा करना तथा गलत को पकड़ना है। अपने सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वह एक संरक्षक, मार्गदर्शक, समायोजन, कार्यकर्ता व अधिकार का प्रतीक है।''।।[11]

पुलिसकर्मी अपने इन दायित्वों को तभी पूरा कर पायंगे जब उन पर उचित तथा प्रभावी नियंत्रण तो किया जाए साथ ही उनके अधिकारों को भी सुरक्षित किया जाये।

**संदर्भ**

1. डी डी वसु, हूमन राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1994 पृ. सं. 05
2. मानवाधिकार एवं महिलाएँ राजबाला सिंहए पृ. सं. 03
3. मनोहर लाल बनाय दिनेश आनन्दए ए. आई. आर. 2001 एसी सर 1820

4. पुलिस प्रशासन अन्वेषण एवं मानवाधिकार डॉ. बसन्तीलाल बाबोल, पृ. सं. 03

5. पुलिस प्रशासन अन्वेषण एवं मानवाधिकार डॉ. बसन्तीलाल बाबोल, पृ. सं. 05

6. मानवाधिकार एवं पिछड़ा वर्ग एस. सी. लाम्बा, पृ. सं. 145

7. मानवाधिकार और राज्य बदलते संदर्भ, उभरते आयाम, आशा कौशिक, पृ. सं. 235

8. पुलिस एवं मानवाधिकार, डॉ. एस. सुब्रह्मण्यम, पृ. सं. 145

9. Amenesty international india 1992 - chapter 04-why the police use torture?

10. दिलित जाखड ' मानवाधिकार और पुलिस संगठन' पृ. सं. 231–32

11. इक्कीसवीं सदी में पुलिस की भूमिका, राजस्थान पत्रिका, 25 दिसम्बर 1999

*** Corresponding Author**

**डॉ. विनोद कुमार सैनी,** *उपप्राचार्य,*

*पोदार कॉलेज नवलगढ़*

*Email-vinodkatria1977@gmail.com, Mob.-9314604321*